पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जून, 2006 ई0 (ज्येष्ठ 13, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	193–199	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	77–78	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

नियुक्ति

विज्ञप्ति

08 मई, 2006 ई0

संख्या 1930/तीस–1–2006–श्री राज्यपाल, श्री अमित सिंह नेगी, आई0ए0एस0 (उत्तरांचल–99) को दिनांक 31–03–2005 के अपरान्ह से अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 भूराजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 के अन्तर्गत कलेक्टर, पिथौरागढ़ एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 (1973 का एक्ट संख्या 2) की धारा 20(1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव।

प्रोन्नति

विज्ञप्ति

26 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 1198/तीस–1–2006–18(15)/2002–उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पी0सी0एस0 अधिकारियों का अन्तिम आवंटन मा0 न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं के कारण प्रभावी न हो पाने के कारण उत्तरांचल में डिप्टी कलेक्टर के पदों पर कार्मिक अनुभाग की प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या 559/एक–1–2004, दिनांक 11 फरवरी, 2004 के द्वारा तहसीलदारों की तदर्थ रूप से उप जिलाधिकारी के पद पर एक वर्ष के लिए प्रोन्नति प्रदान की गयी थी तथा शासन की प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या 1508/तीस–1–2005–18(15)/2002, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 के द्वारा उक्त तदर्थ प्रोन्नत उप जिलाधिकारियों का कार्यकाल आगामी एक वर्ष हेतु बढ़ाया गया था। राज्य में डिप्टी कलेक्टरों की कमी के कारण निम्नलिखित तदर्थ उप जिलाधिकारियों जिनकी तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 11–02–2006 को समाप्त हो गयी है, की तदर्थ प्रोन्नति की अवधि पुनः दिनांक 11–02–2006 से एक वर्ष तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	श्री हंसादत्त पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर, टिहरी,
2.	श्री श्रीश कुमार	डिप्टी कलेक्टर, नैनीताल,
2.	श्री उदय सिंह राणा	डिप्टी कलेक्टर, अल्मोडा।

2. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई एवं अन्तरिम है तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अन्तिम आवंटन के अधीन यथा आवश्यकता परिवर्तनीय होगी।

25 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 1354/तीस–1–2006–18(15)/2002 टी0सी0–उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पी0सी0एस0 अधिकारियों का अन्तिम आवंटन मा0 न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं के कारण प्रभावी न हो पाने के कारण उत्तरांचल में डिप्टी कलेक्टर के पद की अस्थायी रिक्तियाँ विद्यमान हैं, अतः डिप्टी कलेक्टर के पद पर रिक्ति उपलब्ध होने के कारण श्री सुन्दर लाल सेमवाल, तहसीलदार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिप्टी कलेक्टर के

पद पर एक वर्ष के लिए तदर्थ रूप से प्रोन्नत करते हुए जनपद हरिद्वार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात किया जाता है।

2. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई एवं अन्तरिम है तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अन्तिम आवंटन के अधीन यथा आवश्यकता परिवर्तनीय होगी।

26 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 1393/तीस–1–2006–18(15)/2002–उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पी0सी0एस0 अधिकारियों का अन्तिम आवंटन मा0 न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं के कारण प्रभावी न हो पाने के कारण उत्तरांचल में डिप्टी कलेक्टर के पदों पर कार्मिक अनुभाग की प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या 746/एक–1–2004, दिनांक 28 फरवरी, 2004 के द्वारा तहसीलदारों की तदर्थ रूप से उपजिलाधिकारी के पद पर एक वर्ष के लिए प्रोन्नति प्रदान की गयी थी तथा शासन की प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या 1508/तीस–1–2005–18(15)/2002, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 के द्वारा उक्त तदर्थ प्रोन्नत उपजिलाधिकारि का कार्यकाल आगामी एक वर्ष हेतु बढ़ाया गया था। राज्य में डिप्टी कलेक्टरों की कमी के कारण निम्नलिखित तदर्थ उपजिलाधिकारियों जिनकी तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 28–02–2006 को समाप्त हो गयी है, की तदर्थ प्रोन्नति की अवधि पुनः दिनांक 28–02–2006 से एक वर्ष तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	श्री नरेन्द्र सिंह	डिप्टी कलेक्टर, टिहरी,
2.	श्री अब्दुल बासित	डिप्टी कलेक्टर, देहरादून,
3.	श्री प्रताप सिंह शाह	डिप्टी कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर,
4.	श्री भरत लाल फिरमाल	डिप्टी कलेक्टर, उत्तरकाशी,
5.	श्री भ्रवान सिंह चलाल	डिप्टी कलेक्टर, अल्मोड़ा।

2. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई एवं अन्तरिम है तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अन्तिम आवंटन के अधीन यथा आवश्यकता परिवर्तनीय होगी।

26 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 5182/तीस–1–2006–18(15)/2002–उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पी0सी0एस0 अधिकारियों का अन्तिम आवंटन मा0 न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं के कारण प्रभावी न हो पाने के कारण उत्तरांचल में डिप्टी कलेक्टर के पदों पर कार्मिक अनुभाग के पत्रांक 2418/एक–1–2003, दिनांक 14–10–2003 के द्वारा तहसीलदारों की तदर्थ रूप से उपजिलाधिकारी के पद पर एक वर्ष के लिए प्रोन्नति प्रदान की गयी थी तथा शासन की प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या 1508/तीस–1–2005–18(15)/2002, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 के द्वारा उक्त तदर्थ प्रोन्नत उपजिलाधिकारियों का कार्यकाल आगामी एक वर्ष हेतु बढ़ाया गया था। राज्य में डिप्टी कलेक्टरों की कमी के कारण निम्नलिखित तदर्थ उपजिलाधिकारियों जिनकी तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 14–10–2005 को समाप्त हो गयी है, की तदर्थ प्रोन्नति की अवधि पुनः दिनांक 14–10–2005 से एक वर्ष तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	श्री धर्मानन्द घिल्डियाल	विशेष कार्याधिकारी, वरूणावत।
2.	श्री अजय कुमार सिंह	उपजिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

2. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई एवं अन्तरिम है तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अन्तिम आवंटन के अधीन यथा आवश्यकता परिवर्तनीय होगी।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 816/XX(3)–54/पुलिस/2005–पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन तथा तद्विषयक प्राप्त अन्य शक्तियों के अनुसरण में और इस विषय में निर्गत सभी पूर्ववर्ती आदेशों का अतिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर से दलनायक (कम्पनी कमाण्डर) के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण इस आदेश के अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा प्लाटून कमाण्डर से दलनायक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमाण्डर (कम्पनी कमाण्डर) पात्र होंगे, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष के प्रथम अप्रैल की तिथि को पूर्ण कर ली हो और उनके विगत 10 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक रहा हो, तथा विगत तीन वर्षों में कोई गम्भीर प्रकृति की परिनिन्दा प्रविष्टि न की गयी हो तथा विगत 5 वर्षों में किसी वर्ष की सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।

3. सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन हेतु 90 प्रतिशत वेटेज तथा साक्षात्कार को 10 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा। सेवा अभिलेखों के अंकन में विगत 10 वर्षों की चरित्र प्रविष्टि, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रतिकूल टिप्पणी तथा अनुशासनिक/दाण्डिक कार्यवाही की ही गणना की जायेगी। सेवा अभिलेखों एवं साक्षात्कार के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:–

1.	सेवा अवधि	–	19 अंक
2.	शैक्षिक योग्यता	–	06 अंक
3.	वार्षिक मन्तव्य	–	30 अंक
4.	पुरस्कार एवं उत्तम प्रविष्टियां, सम्मान चिन्ह/पदक	–	20 अंक
5.	कोर्सेज एवं खेल	–	15 अंक
6.	साक्षात्कार	–	10 अंक
		योग:	100 अंक

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन हेतु उक्त मदों में निर्धारित अंकों को भी निम्न प्रकार विभाजित किया जायेगा:–

(क) सेवा अवधि (अधिकतकम 19 अंक)

10 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर– 10 अंक

(ख) शैक्षिक योग्यता (अधिकतम 06 अंक)

स्नातकोत्तर/विधि स्नातक	–	06 अंक
स्नातक	–	04 अंक
इण्टर	–	01 अंक

(ग) वार्षिक मन्तव्य (विगत 10 वर्ष) (अधिकतम 30 अंक)

उत्कृष्ट	–	03 अंक प्रतिवर्ष
अति उत्तम	–	02 अंक प्रतिवर्ष
उत्तम	–	01 अंक प्रतिवर्ष

नोट– 1. विगत 05 वर्षों में रोकी गयी सत्यनिष्ठा पर पदोन्नति हेतु नामित नहीं किया जायेगा।

2. विगत 05 वर्षों से पूर्व रोकी गयी प्रत्येक सत्यनिष्ठा पर (–10 अंक)

3. प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य पर (–04 अंक)

(घ) (1) पुरस्कार एवं उत्तम प्रविष्टियां

प्रत्येक उत्तम प्रविष्टि पर	–	½ अंक (अधिकतम 05 अंक)
प्रत्येक नकद पुरस्कार पर	–	01 अंक (अधिकतम 10 अंक)
नोट– विगत 10 वर्षों की प्रत्येक परिनिन्दा प्रविष्टि पर	–	(–3 अंक)
विगत 10 वर्षों में प्रदत्त प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर	–	(–4 अंक)

(2) सम्मान चिन्ह/मैडल पर (अधिकतम 05 अंक)

सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह	–	02 अंक
उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह	–	03 अंक
पुलिस पदक	–	04 अंक
प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक/ राष्ट्रपति का पदक/वीरता पदक	–	05 अंक

(ङ) कोर्सेज (अधिकतम 10 अंक)

1. एक सप्ताह की अवधि के प्रत्येक कोर्स पर	–	01 अंक
2. एक से दो सप्ताह की अवधि के प्रत्येक कोर्स पर	–	02 अंक
3. दो से तीन सप्ताह की अवधि के प्रत्येक कोर्स पर	–	03 अंक
4. तीन से चार सप्ताह की अवधि के प्रत्येक कोर्स पर	–	04 अंक
5. चार सप्ताह से अधिक की अवधि के प्रत्येक कोर्स पर	–	05 अंक

(च) पुलिस खेलकूद एवं प्रतियोगिता (अधिकतम 05 अंक)

जनपद पुलिस का प्रतिनिधित्व	–	02 अंक
रेंज पुलिस का प्रतिनिधित्व	–	03 अंक
राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व	–	04 अंक
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व	–	05 अंक

(सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र आवश्यक है)

4. उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर के पद से दलनायक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:–

(1) पुलिस महानिदेशक – अध्यक्ष

(2) पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी/पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी – सदस्य

(पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी उसी परिस्थिति में सदस्य होंगे जब पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी के पद पर कोई अधिकारी कार्यरत न हो)

(3) पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक – सदस्य सचिव

(पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक उसी परिस्थिति में सदस्य होंगे जब पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक के पद पर कोई अधिकारी कार्यरत न हो)

(4) अनुसूचित जाति का एक अधिकारी, जो पुलिस उप महानिरीक्षक से निम्न स्तर का न हो। इन्हें पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित किया जायेगा — सदस्य

(यदि उपरोक्तानुसार कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तब उस परिस्थिति में शासन द्वारा इस श्रेणी का कोई अधिकारी नामित किया जायेगा)

(5) प्रमुख सचिव, गृह द्वारा नामित एक अधिकारी — सदस्य

5. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र/पीएसी सेक्टर अपने अधीनस्थ कार्यरत अर्हतायें पूर्ण करने वाले उप निरीक्षक का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर ऐसे उप निरीक्षकों की सूची, जो ज्येष्ठता के आधार पर दलनायक के रूप में प्रोन्नत किये जाने के लिये उपयुक्त समझे जायें, पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

6. सशस्त्र पुलिस/पीएसी के ऐसे उप निरीक्षकों, जिन्हें दलनायक/निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए उपयुक्त न समझा जाये, तत्सम्बन्धी कारणों का उल्लेख करते हुए, दूसरी सूची पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7. प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रों एवं इकाइयों से प्राप्त सूचियों के आधार पर प्रथमतः ऐसे उप निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, जिन्हें पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए उपयुक्त पाया जाय, की पारस्परिक ज्येष्ठताक्रम में एक सम्मिलित अन्तिम सूची तैयार की जायेगी तथा अन्तिम चयन सूची में से ज्येष्ठताक्रम के अनुसार उपलब्ध पदों की संख्या के चार गुना उप निरीक्षकों सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।

8. विभागीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार हेतु आहूत उप निरीक्षकों सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों की श्रेष्ठता का निर्धारण अभिलेख एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा एवं प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

9. कम्पनी कमाण्डर के उपलब्ध पदों हेतु चयन उपरोक्त सूची से किया जायेगा। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी।

10. पदोन्नति हेतु चयनित उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर प्रोन्नति आदेश के दिनांक से दलनायक पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माने जायेंगे एवं इस पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकारी चयनित दलनायकों के कार्य एवं आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा में कि चयनित दलनायक इस पद के लिये उपयुक्त है, यह घोषित करते हुए, एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से चयनित निरीक्षक/दलनायक का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है तो उसे उप निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

11. सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरान्त ना0पु0/सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों एवं दलनायकों एवं प्रतिसार निरीक्षकों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी, जो मौलिक नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि के आधार पर अथवा कोटे के अनुपात में चक्रानुक्रम में होगी और जो उत्तरांचल पुलिस के निरीक्षक संवर्ग की अन्तिम वरिष्ठता सूची होगी।

12. उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर से दलनायक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में समय–समय पर निर्गत आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे।

13. इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सभी शासनादेशों को उत्तरांचल शासन में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

विमा पुरी दास,
प्रमुख सचिव, गृह।

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति / पदोन्नति

21 मार्च, 2006 ई०

संख्या 4665 / II–2006–01 (440) 03–सिंचाई विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर कार्यरत श्री नवनीत कुमार शर्मा को उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से वेतनमान रु० 10,000–325–15,200 में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर अनन्तिम पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनन्तिम रूप से पदोन्नत श्री नवनीत कुमार शर्मा की अन्य अधिशासी अभियन्ताओं से पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में अन्तिम आवंटन के उपरान्त निर्धारित की जायेगी तथा उनकी अनन्तिम पदोन्नति शासनादेश संख्या 1478 / XXX(2) / 2004, दिनांक 15–09–2004 व शासनादेश संख्या 1176 / XXX(2) / 2005, दिनांक 10–05–2005 में यथा उल्लिखित प्रतिबन्धों के साथ–साथ सम्बन्धित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों के प्रतिबन्धाधीन रहेगी।

अनन्तिम रूप से पदोन्नत श्री नवनीत कुमार शर्मा के द्वारा अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही योगदान किया जायेगा तथा उनकी पदस्थापना के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

एन० रवि शंकर,
प्रमुख सचिव।

सेवानिवृत्ति विज्ञप्ति

17 मई, 2006 ई०

संख्या 859 / II–06–01 (46) / 2005–एतद्द्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उत्तरांचल प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिविल), सिंचाई विभाग के श्रेणी "क" के अन्तर्गत श्री नारायण दत्त पाटनी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

श्रेणी "क"

अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
श्री नारायण दत्त पाटनी	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	01–01–1947	31–12–06	उत्तरांचल विकल्पधारी

एन० रवि शंकर,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 22 हिन्दी गजट / 281–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्यां–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जून, 2006 ई0 (ज्येष्ठ 13, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी

कार्यालय आदेश

15 मई, 2006 ई0

संख्या 1106/लाईसेंस/06–जीप टैक्सी संख्या यू0ए0–12/0386 पर दिनांक 20–07–05 को श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, ग्राम–पफडियाणा, पो0ऑ0–थैलीसैण, जनपद–पौड़ी गढ़वाल कार्यरत थे। वर्णित वाहन को उप जिलाधिकारी, थलीसैण द्वारा दिनांक 20–07–05 को चैक/चालान किया गया जिसमें चालक को शराब पीकर वाहन खतरनाक तरीके से संचालित करते हुए पाया गया है। शराब पीकर वाहन को संचालित करना अत्यन्त खतरनाक व संवेदनशील है जिससे जान माल की अपूर्णणीय क्षति हो सकती है। अतः मैं, ए0एस0 गुँज्याल, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी केन्द्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत चालक श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह के चालक लाईसेन्स संख्या एल–56/कोटद्वार–2001 जो कि दिनांक 23–04–07 तक हल्के परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध है, को एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

ए0एस0 गुँज्याल,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0), हरिद्वार

कार्यालय आदेश

25 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 130/सा0प्रशा0/लाई0नि0/का0आ0/06–श्री हनुमान सिंह Asst. Commissioner of Police Traffic, West Distt. Delhi द्वारा अपने पत्रांक 657–80/ACP/Traffic West Delhi/दि0 14/03/06 द्वारा सूचित किया गया है कि दि0 03/03/06 को चालक श्री अजय कुमार पुत्र श्री राम निवास, नि0 म0नं0 1082, गली नं0 6, खन्ना नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा वाहन सं0 डी0एल0 1पी0बी0–8709 को तीव्र गति व लापरवाही से चलाने के कारण उक्त वाहन

की दुर्घटना में श्रीमती गुरमित कौर पत्नी श्री अजीत सिंह, नि0 डीजी–2 7डी, विकासपुरी की मृत्यु हो गयी, उक्त आरोप में Asst. Commissioner of Police Traffic द्वारा प्रश्नगत चालक के लाईसेन्स सं0 21981/एच0डी0आर0/03 को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस प्रकरण में सम्बन्धित चालक को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 1986/सा0प्रशा0/लाई0नि0/06, दि0 25/03/06 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था जो कि डाकिए की टिप्पणी 'सम्बन्धित चालक का कुछ पता नहीं चला' के साथ कार्यालय में वापस प्राप्त हुआ है।

अतः, मैं, सुधान्शु गर्ग, सहा0 सं0प0अ0 (प्रशा0) मो0वा0 विभाग हरिद्वार, मो0 गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 'क' में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए लाई0 संख्या 21981/एच0डी0आर0/03 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

ह0 (अस्पष्ट)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

(प्रशा0), हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/281–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।